न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बरः— 225/2021

प्रार्थीः—

भुवानाराम पुत्र अमराराम जाति जाट उम्र करीबन 66 वर्ष निवासी ग्राम रेवासा दलेलपुरा तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. मैनाकंवर पत्नि रामकरणदान जाति चारण निवासी ग्राम रेवासा दलेलपुरा तहसील नावां।
2. केसाराम पुत्र छोटूराम
   2/1 सुरेन्द्र पुत्र केसाराम
   2/2 संतोषदेवी पत्नि केसाराम
   2/3 सोनू पुत्री केसाराम
   2/4 मोनू पुत्री केसाराम
3. नेमाराम पुत्र छोटूराम
4. पेमाराम पुत्र हीराराम
5. प्रहलादकुमार पुत्र सुखाराम
6. बिल्लादेवी पत्नि सुखाराम
7. श्योकुरी पत्नि छोटूराम
   जातियान जाट निवासीयान ग्राम रेवासा दलेलपुरा तहसील नावां।
8. देवीसिंह पुत्र मदनसिंह
9. दातारकंवर पत्नि हेमसिंह
10. नरेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह
11. बजरंगसिंह पुत्र पाबुदानसिंह
12. महिपालसिंह पुत्र हेमसिंह
13. रूपकंवर पत्नि पाबुदानसिंह
    13/1 पारसकंवर पुत्री हेमसिंह पत्नि मेघसिंह जाति राजपूत निवासी लाडपुर तहसील खण्डेला सीकर।
    13/2 रायाकंवर पुत्री हेमसिंह पत्नि नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी लाडपुर तहसील खण्डेला सीकर।
    13/3 आनन्दकंवर पुत्री हेमसिंह पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
    13/4 अचनकंवर पत्नि अजीतसिंह जाति राजपूत निवासी रेवासा दलेलपुरा।
    13/5 मुलेशकंवर पुत्री अजीतसिंह पत्नि [illegible] निवासी नावां।
    13/6 नन्दकंवर पुत्री अजीतसिंह पत्नि [illegible] राजपूत निवासी निवासी खाचरियावास।
    13/7 वसुन्धराकंवर पुत्री [illegible] राजपूत निवासी शेषवास तहसील झूंझूनू।
    13/8 विनोदकंवर पुत्री अजीतसिंह पत्नि प्र[illegible]सिंह राजपूत निवासी [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

13/9 दिलखुशकंवर पुत्री अजीतसिंह पत्नि ऋषिराजसिंह राजपूत निवासी लिसाना तहसील बांदसुर जिला अलवर।
13/10 हंसाकंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नि विक्रमसिंह राजपूत निवासी कंवरपुरा तहसील दांतारामगढ़।
13/11 मुनेशकंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नि सुरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी गोठडा तहसील नवलगढ।
13/12 मनोहरकंवर पुत्री पाबूदानसिंह पत्नि जयसिंह राजपूत निवासी रानोली तहसील दांतारामगढ।
13/13 भंवरसिंह पुत्र शोभाकंवर राजपूत निवासी गुरारा तहसील खण्डेला।
13/14 कैलाशकंवर पुत्री शोभाकंवर राजपूत निवासी रेवासा दलेलपुरा।
13/15 हजारीसिंह पुत्र उच्छबकंवर राजपूत निवासी डूकियां तहसील दांतारामगढ।
13/16 भंवरसिंह पुत्र उच्छबकंवर राजपूत निवासी डूकियां तहसील दांतारामगढ।
13/17 प्रहलादसिंह पुत्र उच्छबकंवर राजपूत निवासी डूकियां तहसील दांतारामगढ।
13/18 तेजुकंवर पुत्री उच्छबकंवर राजपूत निवासी निमी तहसील लाडनूं।
13/19 संतूकंवर पुत्री उच्छबकंवर राजपूत निवासी बेगसर तहसील खींवसर।
13/20 जितेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह राजपूत निवासी डूकिया तहसील दांतारामगढ।
13/21 ज्योतिकंवर पुत्री करणसिंह राजपूत निवासी डूकिया तहसील दांतारामगढ।

14. राजपासिंह पुत्र हेमसिंह
15. सुरेन्द्रसिंह पुत्र अजीतसिंह
16. सोनूसिंह पुत्र किशोरसिंह
    जातियान राजपूत निवासीयान रेवासा दलेलपुरा तहसील नावां।
17. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई शाखा मारोठ तहसील नावां।
18. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडोदा शाखा नावां तहसील नावां।
19. शाखा प्रबंधक, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा किशनगढ रेनवाल।
20. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :— खेत में आने जाने का रास्ता लेने
अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थित :— श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता प्रार्थी
श्री गोपाल सिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 20.01.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम रेवासा दलेलपुरा पटवार हल्का मुवाना तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 601,

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

608, 609, 660 कुल रकबा 11.51 हैक्टर स्थित रही है। प्रार्थी को ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 601, 608, 609, 660 कुल रकबा 11.51 हैक्टर भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 614 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि में से पश्चिमी सीव के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की तरफ 180 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 900 वर्गमीटर अर्थात् 0.09 हैक्टर भूमि व अप्रार्थी संख्या 2 ता 16 की भूमि ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 615 रकबा 2.20 हैक्टर किस्म चाही तृतीय भूमि में से दक्षिणी सीव के सहारे सहारे पश्चिम से पूर्व की तरफ 120 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई का कुल 600 वर्गमीटर अर्थात् 0.06 हैक्टर व इससे आगे इसी खसरा भूमि में से दक्षिण से उत्तर की तरफ पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 140 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 700 वर्गमीटर अर्थात 0.07 हैक्टर अर्थात कुल 900+600+700 कुल 2200 वर्गमीटर अर्थात 0.22 हैक्टर भूमि का रास्ता चाहा है। प्रार्थी को चाहे गये रास्ते का अंकन प्रार्थना पत्र में सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी की 1/16 हिस्सा भूमि मौके पर खसरा नम्बर 609 में स्थित चली आ रही है जो खातेदारान व प्रार्थी ने काफी वर्षो पूर्व विभाजन कर रखा है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी बट हिस्सा हक कब्जा भूमि में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने व उपयोग व उपभोग करने में पूर्णतया वंचित हो जायेगा।

प्रार्थी की मौके पर स्थित भूमि ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 609 में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 614 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि में से पश्चिमी सीव के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की तरफ 180 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 900 वर्गमीटर अर्थात् 0.09 हैक्टर भूमि व अप्रार्थी संख्या 2 ता 16 की भूमि ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 615 रकबा 2.20 हैक्टर किस्म चाही तृतीय भूमि में से दक्षिणी सीव के सहारे सहारे पश्चिम से पूर्व की तरफ 120 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई का कुल 600 वर्गमीटर अर्थात् 0.06 हैक्टर व इससे आगे इसी खसरा भूमि में से दक्षिण से उत्तर की तरफ पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 140 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 700 वर्गमीटर अर्थात 0.07 हैक्टर अर्थात कुल 900+600+700 कुल 2200 वर्गमीटर अर्थात 0.22 हैक्टर भूमि का रास्ता दिलवाने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं भू.अ. निरीक्षक इन्दोखा से मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। भू.अ. निरीक्षक इन्दोखा ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 648 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता सिवायचक मौके पर चालू [illegible] है। खसरा नम्बर 609 रकबा 2.95 हैक्टर के सहखातेदार भुवानाराम पुत्र अमराराम [illegible] द्वारा खसरा नम्बर 648 नजदीकी सिवायचक कटाणी रास्ता से खस[illegible] हेतु रास्ता चाहा गया है। मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 614 में बिन्दु ए से बी तक लम्बाई 192 मीटर चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 768 वर्गमीटर व खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

नम्बर 615 में बिन्दु सी से डी तक खसरा नम्बर 609 की दक्षिणी सीमा तक प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 248 मीटर चौडाई 4 मीटर क्षेत्रफल 992 वर्गमीटर यानि 0.0992 हैक्टर है। उक्त लाल स्याही डॉटेड से दर्शित बिन्दु ए से डी तक रास्ता प्रस्तावित है मौके पर चालू नहीं है एवं उक्त प्रस्तावित रास्ता ही कटाणी रास्ते सिवायचक के सबसे नजदीकी है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 व 14 ता 16 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 19 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुर्जर ने यूटी दी। अप्रार्थी संख्या 20 का तामील शुदा नोटिस प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 17, 18 का तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4,3 सीपीसी पेश किया जिसका अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4,3 सीपीसी खारिज किया जाकर अप्रार्थी संख्या 13 को डिलीट किया गया। मनोहर कंवर पत्नि जयसिंह पुत्री पाबूदानसिंह रूपकंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसपर अधिवक्ता प्रार्थी ने नो ऑब्जेक्शन करने पर स्वीकार किया जाकर उन्हे पक्षकार अप्रार्थी संयोजित किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मृतक रूपकंवर के वारिसान की सूची बाबत पेश किया जिसपर अधिवक्ता प्रार्थी ने नो ऑब्जेक्शन करने पर स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 13 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2021 की आपत्ति तथा पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करवाने बाबत पेश किया जिसपर अधिवक्ता प्रार्थी ने नो ऑब्जेक्शन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू.अ. निरीक्षक इंदोखा से मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाई गई। भू.अ. निरीक्षक इन्दोखा ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 609 में आने जाने हेतु गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 648 से खसरा नम्बर 614 में रास्ते की लम्बाई 192 मीटर हैं तथा खसरा नम्बर 615 में रास्ते की लम्बाई 248 मीटर व चौडाई 4 मीटर है। वर्तमान में खसरा नम्बर 614 व 615 में से रास्ता नहीं चल रहा है। खसरा नम्बर 614 में रास्ते की कुल भूमि 768 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 615 में 992 वर्गमीटर भूमि बनती है जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शायी गयी है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 609 के पूर्व दिशा में 660 खसरा नम्बर है जिसमें भुवानाराम सहखातेदार है जिसमें प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में 1/16 हिस्सा दर्ज है। खसरा नम्बर 660 तक आने जाने हेतु खसरा नम्बर 664 व 665 से नजदीकी रास्ता लगता है जिसकी लम्बाई खसरा नम्बर 664 की लम्बाई 192 मीटर व खसरा नम्बर 665 की लम्बाई 148 मीटर बनती है जिसमें खसरा नम्बर 664 में 4 मीटर चौडा रास्ता की कुल 768 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 665 में 4 मीटर चौड़ाई से 592 वर्गमीटर भूमि बनती है।

अप्रार्थी संख्या 13/1 ता 13/21 के नोटिस अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 24.06.2022 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4,3 सीपीसी पेश किया जिसे खारिज किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 केसाराम के वारिसान के नोटिस पेश करने हेतु हिदायत दी गई। अप्रार्थी संख्या 2 केसाराम के वारिसान सुरेन्द्र पुत्र, संतोषदेवी पत्नि, सोनू पुत्री, मोनू पुत्री के के तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राठौड़ ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 614 में किसी भी प्रकार से कोई रास्ता स्थित नहीं है तथा खसरा नम्बर 614 उत्तरदाता की स्वयं की कृषि भूमि है। प्रार्थी की भूमि के खसरा नम्बर 601, 608, 609, 660 कुल रकबा 11.51 हैक्टर भूमि में से प्रत्येक खसरान में 1/16 हिस्सा प्रार्थी का दर्ज चला आ रहा है तथा प्रार्थी व उसके सहखतोदारान ने भूमि का भू–विभाजन करा रखा हो यह सर्वथा मिथ्या है। प्रार्थी खसरा नम्बर 601, 608, 609, 660 की भूमि का खातेदार कृषक तथा प्रत्येक खसरा की प्रत्येक इंच पर प्रार्थी का हक हिस्सा दर्ज है तथा जब तक भू–विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रार्थी सभी खसरान का काबिज खातेदार कृषक रहेगा तथा प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु चाहे गये रास्ते से भी नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 664 में से 192 मीटर व खसरा नम्बर 665 में से 148 मीटर कुल 340 मीटर लम्बाई का नजदीकी रास्ता प्रार्थी को दिया जा सकता हैं। उक्त पत्रावली में मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2022 को एक मौका रिपोर्ट मौके की वास्तविक स्थिति द्वारा नजदीकी रास्तों को तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई जिसमें स्पष्ट तौर पर अंकन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की कुल दूरी 440 मीटर है तथा प्रार्थी के पूर्वी दिशा में स्थित खसरा नम्बर 664 व 665 में से कुल दूरी मात्र 340 मीटर ही है, जिसका अंकन मौका रिपोर्ट में किया गया है तथा उक्त नजदीकी रास्ता अपने आपमें साबित है तथा विधि में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिस रास्ते की दूरी कम होगी तथा जो रास्ता नजदीक होगा वही रास्ता कृषक को दिया जायेगा। अधिक व लम्बी दूरी का रास्ता दिये जोन का विधि में कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान में खसरा नम्बर 664, 665 की भूमि में से प्रार्थी आवाजाही कर रहा है तथा पूर्व में भी इसी दिशा एवं रास्ते से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवाजाही करता रहा है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) व (4) सीपीसी पेश जिसका अधिवक्ता प्रार्थी जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) व (4) सीपीसी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 664 व 665 के खातेदारान को नोटिस पेश करने की हिदायत दी गई। अप्रार्थी संख्या 3 ता 12, 14 ता 16 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह ने प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 615 में किसी भी प्रकार से कोई रास्ता स्थित नहीं है तथा खसरा नम्बर 615 उत्तरदाता की पैतृक एवं खरीदशुदा कृषि आराजी भूमि है तथा आज दिन भी शामलाती कब्जे काश्त की चली आ रही है। प्रार्थी का यह कथन मिथ्या है कि प्रार्थी की भूमि में आने जाने को कोई रास्ता उपलब्ध [illegible] प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु पश्चिमी दिशा से रास्ता प्रार्थी की भूमि में आ रहा [illegible] प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवाजाही कर रहा है तथा प्रार्थी के नाम से [illegible] पास में ही प्रार्थी की पत्नि केसर देवी के नाम से भी खातेदारी भूमि स्थित है [illegible] भी आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी की भूमि के खसरा नम्बर 601, 608, 609, 660 कुल रकबा 11.51 हैक्टर भूमि में से प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

खसरान में 1/16 हिस्सा प्रार्थी का दर्ज चला आ रहा है तथा प्रार्थी व उसके सहखतोदारान ने भूमि का भू–विभाजन करा रखा हो यह सर्वथा मिथ्या है। प्रार्थी खसरा नम्बर 601, 608, 609, 660 की भूमि का खातेदार कृषक तथा प्रत्येक खसरा की प्रत्येक इंच पर प्रार्थी का हक हिस्सा दर्ज है तथा जब तक भू–विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रार्थी सभी खसरान का काबिज खातेदार कृषक रहेगा तथा प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु चाहे गये रास्ते से भी नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 664 में से 192 मीटर व खसरा नम्बर 665 में से 148 मीटर नजदीकी दूरी का रास्ता प्रार्थी को दिया जा सकता हैं, जिसकी दूरी प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते से 100 मीटर कम होगी। उक्त पत्रावली में मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2022 को एक मौका रिपोर्ट मौके की वास्तविक स्थिति द्वारा नजदीकी रास्तों को तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई जिसमें स्पष्ट तौर पर अंकन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की कुल दूरी 440 मीटर है तथा प्रार्थी के पूर्वी दिशा में स्थित खसरा नम्बर 664 व 665 में से कुल दूरी मात्र 340 मीटर ही है, जिसका अंकन मौका रिपोर्ट में किया गया है तथा उक्त नजदीकी रास्ता अपने आपमें साबित है तथा विधि में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिस रास्ते की दूरी कम होगी तथा जो रास्ता नजदीक होगा वही रास्ता कृषक को दिया जायेगा। अधिक व लम्बी दूरी का रास्ता दिये जाने का विधि में कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान में खसरा नम्बर 664, 665 की भूमि में से प्रार्थी आवाजाही कर रहा है तथा पूर्व में भी इसी दिशा एवं रास्ते से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवाजाही करता रहा है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आवेदन वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 660, 664, 665 से प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 609 की दूरी तुलनात्मक नाम चौके सहित मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक इन्दोखा से मंगवाई गई। भू.अ. निरीक्षक इन्दोखा ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट अंकित नजरी नक्शा अनुसार आराजी खसरा नम्बर 609 में आने जाने हेतु गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 648 से खसरा नम्बर 614 में रास्ते की लम्बाई मुताबिक नक्शा लट्ठा 245 मीटर व खसरा नम्बर 615 में रास्ते की लम्बाई मुताबिक नक्शा लट्ठा 198 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है। मौके पर खसरा नम्बर 614, 615 में से किसी प्रकार का रास्ता चालु नहीं है। खसरा नम्बर 614 में रास्ते का कुल 980 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 615 में रास्ते का क्षेत्रफल 792 वर्गमीटर रहेगा। नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 683 से 609 में रास्ते दिया जाता है तो रास्ते की लम्बाई खसरा नम्बर 665 में 160 मीटर व खसरा नम्बर 664 में 216 मीटर, खसरा नम्बर 660 में 250 मीटर मुताबिक नक्शा लट्ठा रहेगी तथा चौड़ाई 4 मीटर रहेगी। मौके पर खसरा नम्बर 665, 664, 660 में किसी प्रकार का रास्ता वर्तमान [illegible] 665 में रास्ते का क्षेत्रफल 640 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 664 में रास्ते का क्षेत्रफल 864 [illegible]मीटर, खसरा नम्बर 660 में रास्ते का क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर रहेगा। आ[illegible] की लम्बाई चौड़ाई के नीचे 2 पेड व खसरा नम्बर 615 में 3 पेड स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 609 व 660 प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:41 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

सहखातेदारी में दर्ज है। तत्पश्चात उभयपक्षकारान ने खसरा नम्बर 664, 665 के सहखातेदारान की तलबी नहीं करवाकर सीधे बहस करने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपनी सहखातेदारी भूमि राजस्व ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 601, 608, 609, 660 में आवागमन करने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि राजस्व ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 614 रकबा 2.43 हैक्टर भूमि में से पश्चिमी सीव के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की तरफ 180 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 900 वर्गमीटर अर्थात् 0.09 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 615 रकबा 2.20 हैक्टर भूमि में से दक्षिणी सीव के सहारे सहारे पश्चिम से पूर्व की तरफ 120 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई का कुल 600 वर्गमीटर अर्थात् 0.06 हैक्टर व इससे आगे इसी खसरा भूमि में से दक्षिण से उत्तर की तरफ पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 140 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 700 वर्गमीटर अर्थात 0.07 हैक्टर अर्थात कुल 2200 वर्गमीटर (0.22 हैक्टर) भूमि का रास्ता चाहा।

पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के अवलोकन से ग्राम रेवासा दलेलपुरा के खसरा नम्बर 601, 608, 609, 660 कुल रकबा 11.51 हैक्टर में प्रार्थी का 1/16 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है एवं उक्त भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बिना विधिवत भू–विभाजन करवाये ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं उक्त भूमि के सहखातेदारान भी पत्रावली में पक्षकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार बिना सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाये या बिना विधिवत भू–विभाजन करवाये केवल एक ही सहखातेदार को रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दिये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रार्थी उक्त भूमि का विधिवत भू–विभाजन होने के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:41 IST
Reason: SelfAttested